

निशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन शिक्षा हेतु जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता

उद्देश्य— मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में असहाय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए योजना प्रारंभ की गई। यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है।

पात्रता —

1. कम्प्यूटर प्रबंधन में प्रवेश
2. पालक आय सीमा एक लाख
3. मध्यप्रदेश का मूल निवासी

चयन —

10+2 में अंक मेरिट लिस्ट के आधार पर

लाभ —

1. पाठ्यक्रम फीस प्रतिपूर्ति
2. 1500 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता
3. नगर पालिका — 500, नगर निगम में 300 परिवहन भत्ता 300 प्रतिमाह

विकलांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति

लक्ष्य — 10 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष

उद्देश्य— विकलांग विद्यार्थियों को शोध अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने तथा विशिष्ट विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने एवं सामाजिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है।

पात्रता —

1. मूल निवासी
2. किसी विश्वविद्यालय में पंजीयन
3. स्नातकोत्तर में निर्धारित प्राप्तांक
4. पालक आय सीमा 1 लाख तक
5. विकलौंगता प्रमाण पत्र
6. अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं

प्रक्रिया —

स्नातकोत्तर स्तर पर मेरिट सूची के आधार पर स्नातकोत्तर में नंबर एक जैसे हो तो एम.फिल को वरीयता ।

लाभ —

विवरण	प्रदाय राशि
पंजीयन पर	रु. 10,000
अनुसंधान प्रगति 60 प्रतिशत होने पर	रु. 30,000
अनुसंधान कार्य पूर्ण होने पर	रु. 60,000
कुल	रु. 1,00,000